न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 207/2017 **दायरा दिनांक : 13.11.2017**

उनवान

बाबू भाई पुत्र श्री अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम पथरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां हाल निवासी वार्ड नम्बर 40 बारां, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— अब्दुल हकीम पुत्र अब्दुल रजाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 9 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— खातून बेगत पुत्री अब्दुल रजाक पत्नी मोहम्मद सिद्धीक, जाति मुसलमान, निवासी मिश्रा टोडी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल

4— उप—पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेश प्रकाश गौतम एवं श्री बालमुकुन्द गूर्जर

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.09.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 76/2014 निर्णय दिनांक 15.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थी की पुश्तैनी शामलाती आराजी खाता संख्या 2 की खसरा नम्बर 368 रकबा 2.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 376 रकबा 4.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 376/529 रकबा 1.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 377 रकबा 1.86 हेक्टर कुल 4 किता की 10.00 हेक्टर आराजी वाके ग्राम झाड़वा तहसील मांगरोल में स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 4 की खसरा नम्बर 334 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 335 रकबा 3.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 335/437 रकबा 1.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 335/514 रकबा 3.00 हेक्टर कुल 4 किता की 7.63 हेक्टर ग्राम गुदरावनी, तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है । दोनों खातों में प्रार्थी का 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित हैएवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का भी शामलाती खाते की आराजी में 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पक्षकारान के मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अप्रार्थी आराजी का विभाजन कराना चाहते हैं और रोड़ के पास की आराजी को बेचना चाहते हैं जिससे आने जाने का रास्ता बन्द हो जाएगा । शामलाती खाते की आराजी पर प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा होता है । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की है कि प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि ता फैसला दावा वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2016 को प्रार्थना पत्र

प्रार्थी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण का बराबर बराबर हिस्सा है । एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । वाद घोषणा का नहीं है, सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर मौखिक बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है । सहखातेदार को अपने हिस्से की आराजी का विक्रय करने से नहीं रोका जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान सहखातेदार हैं और रेस्पोडेंट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया है । विभाजन की प्रार्थना नहीं की है । उनके द्वारा एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी है जो नहीं दी जा सकती है । अपीलांट का काउंटर क्लेम प्रार्थना पत्र था जिस पर निर्णय पारित नहीं किया

गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । दौराने दावा पक्षकारों को रहन बेचान न करने हेतु पाबन्द किया जाना विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत तरीके से निर्णय किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं । अपील सारहीन व खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा